न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 31/2016

1 जीताराम पुत्र गोपाल
2 राकेश कुमार पुत्र गोपाल
जाति जाट पेशा काश्तकारी निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 धुड़ाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट पेशा काश्तकारी निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ आदेश दिनांक 03.05.2016
मु.सं. 124/2016 बउनवानी मुकदमा
धुड़ाराम बनाम जीताराम वगै. दरखवास्त
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरपवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाके ग्राम रघुनाथपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 1971 तादादी 0.61 है. की खातेदारी के बाबत गौर नहीं किया जमीन जैर बहस अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की जमीन है व अपीलान्ट को बिना सुने ही खातेदारी काश्तकार रिकार्ड के अनुसार को पाबन्द करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। अपीलान्ट ने जमीन जैर बहस पर सुधार के लिये व फसल काश्त करने के लिये बैंक से ऋण ले रखा था व जमीन जैर बहस पर सह खातेदार काश्तकार द्वारा हक त्याग करवाने के लिये बैंक का ऋण चुकाकर के हक त्याग करवाया था इसका फायदा उठाकर के रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की जमीन पर एक तरफा स्थगन प्राप्त कर लिया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेनट ने आदेशिका 03.05.2016 के द्वारा केवल यह कथन किया है 'आवेदक का कथन है कि अनावेदकगण प्रश्नगत भूमियों का हस्तान्तरण करने विक्रय करने व खुर्द बुर्द कर विशेष भु—भाग को वेस्ट एण्ड डेमेज करने हरे पेड़ काटने पर आमाद है' परन्तु विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई प्रार्थना के आगे जाकर के इस तरह से आदेश जारी किया — ' अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जार की जाती है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आगामी तिथि दिनांक 08.06.2016 तक अनावेदकगण वाके ग्राम रघुनाथपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.61 है. भूमि को विक्रय रहन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें' इस प्रकार से विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा चाही गई इस्तदुआ के अलावा जमीन को बैंक के रहन रखने से भी पाबन्द कर दिया व रहन कर नामान्तकरण भी तस्दीक करने से रोक दिया। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि खातेदार काश्तकार के खिलाफ अजनबी व्यक्ति भी कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्या इस तरफ गौर ना कर विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि खसरा नम्बर 1197 के संदर्भ में ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। वरवक्त बहस अपीलांट का कथन है कि कृषि कार्य हेतु बैंक से ऋण लेने एवं रहन रखने हेतु स्थगन में छूट प्रदान की जावें। शेष स्थगन यथावत रखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए कृषि कार्य हेतु छूट दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन स्थगन आदेश में इस हद तक छूट प्रदान की जाती है कि अपीलांट अपने हिस्से तक कृषि भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त करने, रहन रखने के संदर्भ में स्थगन प्रभावी नहीं रहेगा। शेष स्थगन यथावत रखा जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर